

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 173085 /
6/एस.जी.एस.वाई/एन.आर.एल.एम-15/12

पटना, दिनांक 02/01/14

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- रुडसेटी//आरसेटी के प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित मामले में कहना है कि आपको प्रेषित विभागीय पत्रांक 170936 दिनांक 10.12.2013 के साथ संलग्न भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार मई 2013 से लागू RUDSETI/RSETI के वर्ष 2013-14 के प्रशिक्षण व्यय के प्रतिपूर्ति दावों का निष्पादन हेतु, भारत सरकार द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किये जायेगे ।

अतः वर्ष 2012-13 तक RUDSETI/RSETI के लंबित बकाए के दावों का भुगतान S.G.S.Y. की अवशेष राशि, जो अबतक S.R.L.M. को हस्तांतरित नहीं की गई है, से दिनांक 15.01.2014 तक निश्चित रूप से कर देने का निर्देश दिया जाता है ।

विश्वासभाजन


(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 173085 /

पटना, दिनांक 02/01/14

प्रतिलिपि:- लिलानन्द झा तथा मनोज कुमार, SPC, RSETI एवं श्री सतीश कुमार सिंह, SLBC को सूचनार्थ । अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी अग्रणी बैंक के LDM एवं RSETI निदेशकों को सूचित करने की कृपा करेंगे ।


विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 173085 /

पटना, दिनांक 02/01/14

प्रतिलिपि:- मंत्री, के आप्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग/ सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी